

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय को
सम्बोधित करें, अन्य किसी
अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या : 50157-18275-80

दिनांक : 04/11/2021

प्रेषक,

कुल सचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007
सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
जनपद लखनऊ।

सम्बद्ध लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।

विषय: केन्द्र पुरोनिधानित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं की KYC की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रांक 353/अ0स0क0/के0पू0 छात्रवृत्ति/2021-22 दिनांक 22.10.2021 के क्रम में विकास भवन में आयोजित बैठक दिनांक 26.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें लखनऊ जनपद के 158 महाविद्यालयों द्वारा KYC प्रक्रिया पूर्ण न करने के कारण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बैठक के पश्चात् अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मैरिट कम मेन्स के लिए शिक्षण संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन एवं KYC कराने हेतु संलग्न प्रक्रिया/प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

उक्त उपलब्ध कराये गये प्रक्रिया/प्रारूप पर वांछित विवरण अंकित करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को तीन कार्य दिवसों में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की दशा में आपकी संस्था में प्रवेशित किसी भी छात्र/छात्रा को उक्त छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर समस्त उत्तरदायित्व आपकी संस्था का होगा।

कृपया जिन महाविद्यालयों द्वारा अब तक KYC की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है, वह शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्रालय के निर्देश के क्रम में KYC कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संलग्नक उपरोक्तानुसार

पत्र संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित-

1. अधिष्ठाता कॉलेज डेवलपमेंट काउन्सिल (CDC) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को कॉलेज ग्रुप में प्रेषित कर अगली कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कक्ष संख्या-23 कलैक्ट्रेट भवन लखनऊ।
3. उप कुलसचिव सम्बद्धता को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. इन्चार्ज वेबसाइट ल0वि0वि0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ई-मेल के माध्यम से समस्त प्राचार्य को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(शशि प्रभा तिवारी)

सहायक कुलसचिव/नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं के0वाई0सी0 की प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश

योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन एवं के0वाई0सी0 की प्रक्रिया हेतु सर्वप्रथम वेबसाइट <https://scholarships.gov.in> पर जाकर Service Option पर जाएंगे तथा Institute KYC Registration पर क्लिक करेंगे।

संस्था द्वारा के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म हेतु निम्नानुसार आनलाइन प्रक्रिया की जाएगी:-

1. AISHE/DISE/NCVT Code का सत्यापन।
 2. संस्था के नोडल अधिकारी (INO's) का UIDAI से आधार सत्यापन।
 3. संस्था के प्रमुख (Head) का UIDAI से आधार सत्यापन।
 4. संस्था के नोडल अधिकारी (INO's) का पहचान पत्र अपलोड किया जाना तथा संस्था से सम्बन्धित अन्य विवरण।
- उक्त प्रक्रिया सफलतापूर्वक कर लेने के पश्चात के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म नम्बर प्राप्त होगा।
 - आनलाइन के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म की हार्डकापी प्रिंट करके निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं फोटो चस्पा करके जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कक्ष संख्या 63, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में समस्त आवश्यक संलग्नकों (संस्था की मान्यता/सम्बद्धता की प्रति, नोडल व हेड के आधार आदि की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति) के साथ जमा करना होगा।
 - संलग्नकों सहित हार्डकापी प्राप्त होने के पश्चात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
 - जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर से के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म वेरिफाई/निरस्त होने की सूचना नोडल अधिकारी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भेजी जाएगी। जिसकी सूचना संस्था हेड के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी जाएगी।
 - के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म वेरिफाई होने के पश्चात संस्था आई0डी0 पर लॉगिन कर अपनी Profile (Class, Fee) Update कर लेंगे।
 - उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षण संस्था में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा वेबसाइट <https://scholarships.gov.in> पर आनलाइन आवेदन किया जाएगा जो संस्था की आई0डी0 पर प्रदर्शित होगा। शिक्षण संस्था द्वारा अपनी आई0डी0 से उक्त आवेदन पत्रों को परीक्षणोपरान्त ससमय आनलाइन अग्रसारित/निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

नोट:-

- एक ही AISHE/DISE/NCVT Code पर एक से अधिक के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म भरे जाने की स्थिति में केवल एक ही के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म वेरिफाई होगा। बाकी के के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म स्वतः निरस्त हो जाएंगे।
- के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म सावधानीपूर्वक त्रुटिरहित भरें। एक बार के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म वेरिफाई होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
- के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन फार्म भरने पर यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो Service Option पर जाकर To Fill Registration Form पर क्लिक करें जिसमें स्क्रीनशॉट के साथ चरणवार प्रक्रिया उपलब्ध है।
- जिन शिक्षण संस्थाओं ने योजनान्तर्गत के0वाई0सी0 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्व में पूर्ण कर ली है वे अपनी आई0डी0 से लॉगिन कर नोडल अधिकारी एवं संस्था हेड का आधार सत्यापित करा लें तथा प्रोफाइल अपडेट कर लें।

**अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग
हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना**

**के0वाई0सी0 सत्यापन पूर्ण कर चुकी संस्थाओं के नोडल अधिकारी का आधार बेस डेमोग्राफिक
प्रमाणीकरण की प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश**

योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के नोडल अधिकारी का आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निम्नवत है:-

1. सर्वप्रथम वेबसाइट <https://scholarships.gov.in> पर जाकर **Institute Login** पर क्लिक करेंगे तत्पश्चात **Institute Nodal Officer** एवं **Academic Year** में **2021-22** **Select** करते हुए अपनी आई0डी0-पासवर्ड अंकित करेंगे। (आई0डी0 पासवर्ड संस्थाओं को के0वाई0सी0 सत्यापन के समय उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर उपलब्ध कराया गया है।)

यदि आई0डी0 लॉगिन नहीं हो रही है अथवा आई0डी0-पासवर्ड भूल गये हैं तो निम्न प्रक्रिया से आप आई0डी0 पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:-

आई0डी0 प्राप्त करने हेतु वेबसाइट <https://scholarships.gov.in> के **Home Page** पर जाकर **New Registration** पर क्लिक करें तत्पश्चात **Search Institute/School/ITI** पर जाकर संस्था का **UDISE/AISHE/ITI(NCVT) Code** अंकित करते हुए प्रदर्शित कैप्चा को निर्धारित स्थान पर अंकित कर **Get Institute Based on Entered (UDISE/AISHE/ITI(NCVT) Code** पर क्लिक करें। जिसके उपरान्त संस्था का नाम, आई0डी0, के0वाई0सी0 की स्थिति आदि प्रदर्शित होगी। संस्था की आई0डी0 यहां से नोट कर लें।

पासवर्ड प्राप्त करने हेतु वेबसाइट <https://scholarships.gov.in> के **Home Page** पर जाकर **Institute Login** पर क्लिक करें। तत्पश्चात नीचे **School/Institute Forget Password?** पर क्लिक कर संस्था की आई0डी0 अंकित करते हुए प्रदर्शित कैप्चा को निर्धारित स्थान पर अंकित कर **Submit** पर क्लिक करें। जिसके उपरान्त के0वाई0सी0 फार्म में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर OTP जाएगा। उक्त प्राप्त OTP को अंकित करें जिसके उपरान्त रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर Password प्राप्त हो जाएगा।

2. संस्था लॉगिन करने के उपरान्त **Administration** पर क्लिक करके **Update Profile** पर क्लिक करेंगे। जिसके उपरान्त रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर OTP जाएगा। उक्त प्राप्त OTP को अंकित कर **Confirm OTP** पर क्लिक करने के पश्चात संस्था/नोडल अधिकारी/संस्था हेड का विवरण भरे जाने हेतु फार्म खुलेगा।
3. **Registered Certificate** में संस्था के मान्यता की प्रति **Upload** करेंगे। **Contact Person Details** में नोडल अधिकारी का आधार नम्बर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नम्बर आदि जैसा कि आधार कार्ड पर है, अंकित करेंगे तथा **Final Submit** पर क्लिक करेंगे। जिसके उपरान्त संस्था नोडल अधिकारी की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तथा बायीं ओर सभी **Options** प्रदर्शित होने लगेंगे। (संस्था नोडल अधिकारी का रजिस्टर्ड मोबाइल नं० उनके आधार से लिंक होना अनिवार्य है अन्यथा नोडल का UIDAI से आधार का सत्यापन नहीं हो सकेगा।)
4. उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त Last Page का Print निकाल लेंगे तथा नोडल अधिकारी के आधार की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनपद-लखनऊ, कक्ष संख्या-63, कलेक्ट्रेट, कैसरबाग-लखनऊ

अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना (प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स)

आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देश

1. योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाएगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन का विधिवत परीक्षण/मिलान कर लिया जाएगा कि भरी गयी सभी प्रविष्टि सही एवं त्रुटिरहित है। तत्पश्चात ही आवेदन आनलाइन फाइनल सबमिट किया जाएगा।

यदि छात्र/छात्राओं द्वारा भरी गई कोई प्रविष्टि गलत या त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसका आवेदन निरस्त होता है अथवा उसकी छात्रवृत्ति की धनराशि अन्तरित नहीं हो पाती तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की ही होगी।

2. छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन की हार्डकापी सभी संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में जमा की जाएगी।

छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले साक्ष्य/अभिलेख निम्नवत हैं:-

- | | |
|---|----------------------------------|
| (क) छात्र/छात्रा की नवीनतम फोटो | (ख) आधार कार्ड |
| (ग) सम्बन्धित तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र | (घ) बैंक पासबुक |
| (ङ) छात्र/छात्रा का पिछली कक्षा का अंकपत्र | (च) फीस रसीद |
| (छ) अन्य साक्ष्य/अभिलेख जो आवश्यक हों | (ज) बैंक खाता जो आधार से लिंक हो |

यदि छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ उक्त साक्ष्य/अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते हैं तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था उनका आवेदन स्वीकार्य नहीं करेगी तथा आवेदन निरस्त कर देगी।

3. शिक्षण संस्था द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र तथा संलग्नकों का संस्था में रक्षित अभिलेखों के आधार पर विधिवत मिलान/परीक्षण किया जाएगा तथा उन्हीं छात्र/छात्राओं का आवेदन आनलाइन अग्रसारित किया जाएगा जो योजनान्तर्गत पूर्ण रूप से पात्र होंगे। अपात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन आनलाइन निरस्त कर दिया जाएगा।

शिक्षण संस्था केवल योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन ही अग्रसारित करेगी। यदि जांच के समय यह पाया गया कि किसी अपात्र छात्र/छात्रा का आवेदन अग्रसारित किया गया है तो सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

4. शिक्षण संस्थाओं द्वारा अग्रसारित तथा निरस्त किये गये आनलाइन आवेदनों की पृथक-पृथक सूची प्रत्येक अग्रसारित किये गये आवेदन की संलग्नकों सहित प्रति अग्रसारण के 07 दिनों के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि संस्था द्वारा अग्रसारित किये गये छात्र/छात्राओं का संलग्नकों सहित आवेदन पत्र तथा सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को ससमय उपलब्ध नहीं कराई जाती है अथवा निर्धारित तिथि के बाद उपलब्ध कराई जाती है तो सम्बन्धित छात्र/छात्राओं का आवेदन अधोहस्ताक्षरी स्तर से अग्रसारित नहीं किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षण संस्था की होगी।

नोट:- योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन किये जाने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध गाइड लाइन का अवलोकन अवश्य कर लें। जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की दर, छात्रवृत्ति हेतु शर्तें आदि का विधिवत वर्णन किया गया है।

वेब साइट- <https://scholarships.gov.in>